



म.प्र उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर

फॉर्म- डी
अस्वीकृति आदेश
(कृपया नियम 4(2) देखें)

No.RTIA/DR-HCIND/523

Indore, Dated 12.03.2018

द्वारा,

डिप्टी रजिस्ट्रार,
राज्य लोक सूचना अधिकारी,
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय,
खण्डपीठ इन्दौर (म0प्र0)

प्रति,


भीमराव बागड़े (अध्यक्ष)
छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
कार्यालय शांतिनगर,
वार्ड क्रमांक 11, आम्बेडकर चौक,
राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचनाओं को प्रदान के संबंध में आपका आवेदन आवक क्रमांक 671 दिनांक 09/03/2018 के माध्यम से प्राप्त हुआ है जो कि हमारे आई.डी. नंबर 70/2017-18 दिनांक 12/03/2018 में पंजीकृत किया गया है, के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा वांछित जानकारी निम्नलिखित कारणों से प्रदान नहीं की जा सकती है :-

- 1- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 28 (1) के तहत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सक्षम प्राधिकारी ने उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश नियम (सूचना का अधिकार) 2006 गठित किया है जिसके नियम 7(1) के अनुसार एक भारतीय नागरिक आवेदक को 50/- रु0 शुल्क का भुगतान भारतीय न्यायिक स्टाम्प/ट्रेजरी चालान संलग्न करके फार्म "ए" पर आवेदक की स्वयं की स्वः हस्ताक्षरित तस्वीर चिपकाना आवश्यक है। आपने स्वयं की स्वहस्ताक्षरित लगी हुई तस्वीर वाला फॉर्म नंबर "ए" न प्रस्तुत करते हुए 10/- रु0 भारतीय पोस्टल आर्डर प्रस्तुत किया है (42 F 445966) जो कि नियमानुसार सही नहीं है।
- 2- चूंकि आवेदन में (कंपनी पिटीशन क्र0 9/96 के संबंध में सम्पूर्ण दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही है) चाही गई जानकारी (सूचना का अधिकार नियम 2006) के नियम 8(1) के अनुसार लोक सूचना अधिकारी देने हेतु बाध्य नहीं है, जो कि म0प्र0 उच्च न्यायालय नियम 2006 के चेप्टर 18 के अनुसार इस खण्डपीठ के कॉपींग सेक्शन में नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत करके तथा कॉपींग फीस अदा करके प्राप्त की जा सकती है।

इस प्रकार, उपरोक्त कारणों से अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा आपके आवेदन पत्र को निरस्त किया जा रहा है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुभाग 19 के अनुसार आप इस आदेश के 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी (प्रिंसिपल रजिस्ट्रार) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर को अपील कर सकते हैं।


(राजेश कुमार शर्मा)
डिप्टी रजिस्ट्रार/
राज्य लोक सूचना अधिकारी